भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1386

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा प्रबंधन

†1386. श्री नन्दी एल्लैया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन किए जाने की जरुरत है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या एनडीआएफ की दो बलों की तैनाती के लिए श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम में भूमि प्रदान की जा सकती है जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इच्छा व्यक्त की गई थी; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) और (ख): जी, नहीं क्योंकि हाल ही में आई बाढ़ और हुदहुद चक्रवात के समय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कोई उपाध्यक्ष (वाइस चेयरमैन) नहीं था।
(ग): जी, हॉ।
(घ): उपलब्ध सूचना के अनुसार, एनडीआरएफ ने विशाखापत्तनम में भूमि की पहचान कर ली है और इसके अधिग्रहण की कार्रवाई शुरु कर दी है।

*****